

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2012
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक)

आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण

2012. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का राज्यवार वितरण क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों में कृषि क्षेत्र में कार्यबल में गिरावट आई है; और
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसके बारे में चिंतित है और इसका समाधान करने की कोई योजना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर उद्योग वर्गों और राज्यवार द्वारा कामगारों का अनुमानित प्रतिशत वितरण अनुबंध में दिया गया है।

पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में कामगारों की अनुमानित हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 44.1% और वर्ष 2022-23 में 45.8% थी।

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारंकित प्रश्न संख्या 2012 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उद्योग वर्गों द्वारा आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) -2008 के अनुसार)																					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआईसी-2008 के उद्योग अनुभाग																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	all
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
आंध्र प्रदेश	44.51	0.21	10.51	0.26	0.12	11.10	9.61	5.77	2.65	1.91	0.94	0.26	0.62	0.54	3.25	2.85	1.33	0.17	2.54	0.87	100.00
अरुणाचल प्रदेश	62.10	0.08	2.18	1.01	0.49	5.57	10.24	2.14	0.45	0.13	0.09	0.04	0.16	0.05	6.89	5.83	2.37	0.00	0.14	0.06	100.00
असम	48.82	0.09	4.69	0.11	0.11	27.70	7.38	2.71	0.91	0.15	0.21	0.11	0.16	0.71	1.39	3.17	0.47	0.05	0.77	0.29	100.00
बिहार	49.61	0.18	5.71	0.02	0.13	18.39	11.84	3.88	1.58	0.20	0.41	0.03	0.16	0.60	0.25	3.31	0.65	0.25	2.29	0.52	100.00
छत्तीसगढ़	62.61	0.65	7.58	0.63	0.10	9.67	6.95	1.90	0.99	0.18	0.44	0.09	0.39	0.61	0.90	2.79	1.61	0.13	0.90	0.89	100.00
दिल्ली	0.28	0.00	23.52	0.49	0.67	8.08	22.25	9.26	3.50	1.99	2.85	2.15	1.53	4.49	2.99	3.41	2.02	0.20	2.88	7.42	100.00
गोवा	12.16	0.95	18.42	0.52	0.89	8.32	14.38	8.05	8.20	1.34	1.86	1.81	1.48	1.99	6.12	4.38	2.66	1.00	0.82	4.67	100.00
गुजरात	41.82	0.10	23.77	0.32	0.44	7.11	9.46	3.43	1.49	0.80	1.07	0.18	0.98	1.17	1.30	2.17	1.09	0.14	1.80	1.36	100.00
हरियाणा	29.76	0.03	16.09	0.20	0.74	12.76	13.14	7.33	1.49	1.41	1.18	0.19	1.42	1.92	2.46	4.54	1.48	0.09	2.38	1.37	100.00
हिमाचल प्रदेश	58.37	0.34	6.93	1.12	0.48	8.41	6.06	4.07	1.61	0.48	0.54	0.13	0.74	0.37	2.60	5.26	1.21	0.22	0.97	0.09	100.00
झारखंड	49.25	1.16	8.91	0.05	0.06	17.43	9.26	4.88	1.43	0.31	0.64	0.06	0.24	0.81	0.54	2.56	0.48	0.08	1.24	0.62	100.00
कर्नाटक	45.63	0.36	10.36	0.27	0.24	9.25	9.86	4.89	2.40	5.19	1.44	0.42	0.69	0.88	1.46	2.48	1.38	0.13	1.12	1.53	100.00
केरल	27.27	0.31	10.91	0.16	0.36	15.37	14.67	6.24	2.95	1.83	2.40	0.33	1.28	1.41	2.01	4.64	3.99	0.86	1.63	1.37	100.00
मध्य प्रदेश	59.78	0.67	6.27	0.22	0.14	11.07	9.12	2.82	1.17	0.52	0.53	0.08	0.35	0.45	1.34	2.18	0.86	0.19	1.15	1.09	100.00
महाराष्ट्र	45.98	0.27	12.42	0.40	0.35	6.35	9.27	4.46	2.07	2.68	1.97	0.35	1.16	1.74	1.50	2.98	1.87	0.39	1.71	2.09	100.00
मणिपुर	35.67	0.28	14.72	0.00	0.50	10.81	9.86	5.37	1.22	0.17	1.08	0.00	0.51	4.14	5.87	7.29	1.57	0.07	0.64	0.23	100.00
मेघालय	47.02	1.51	2.63	0.08	0.33	16.95	8.52	4.17	3.42	0.47	0.52	0.03	0.17	1.24	3.03	4.87	2.24	0.39	1.42	1.00	100.00
मिजोरम	43.08	0.27	5.43	0.07	0.17	5.26	14.71	6.03	1.41	0.20	0.53	0.00	0.66	5.77	6.27	7.84	1.41	0.08	0.75	0.05	100.00
नागालैंड	49.97	0.07	6.17	0.19	0.13	5.60	8.75	4.80	0.20	0.05	0.89	0.01	0.33	5.65	3.92	8.16	1.75	0.00	3.27	0.08	100.00
ओडिशा	48.13	0.35	7.95	0.34	0.14	17.01	10.16	3.90	2.68	0.46	0.78	0.03	0.24	0.91	0.94	3.03	0.98	0.13	1.33	0.51	100.00
पंजाब	24.64	0.01	17.75	0.37	0.50	15.64	14.57	3.45	2.72	1.00	1.13	0.21	0.75	0.74	1.47	5.29	1.95	0.74	3.93	3.15	100.00
राजस्थान	54.79	0.93	10.09	0.41	0.39	12.69	7.65	3.11	1.42	0.41	0.82	0.15	0.33	0.75	0.76	2.45	0.96	0.21	1.45	0.23	100.00
सिक्किम	45.84	0.17	3.39	2.19	0.04	9.15	7.81	6.88	3.43	0.09	0.22	0.00	0.08	0.01	12.71	4.29	1.72	0.35	1.63	0.01	100.00
तमिलनाडु	28.87	0.28	16.77	0.45	0.38	18.04	11.40	5.46	3.12	2.83	1.51	0.33	0.90	0.62	1.25	3.36	1.34	0.20	1.66	1.23	100.00
तेलंगाना	47.34	0.46	10.34	0.28	0.29	8.29	9.68	5.28	1.65	4.26	0.73	0.65	0.61	0.49	2.41	2.18	2.12	0.10	1.52	1.32	100.00
त्रिपुरा	35.57	0.01	3.12	0.00	0.04	20.54	15.30	8.05	1.12	0.41	0.56	0.03	0.34	2.17	2.41	6.78	0.90	0.25	0.99	1.41	100.00
उत्तराखंड	47.37	0.01	9.86	0.10	0.84	10.39	11.54	3.65	2.96	0.31	0.18	0.31	0.55	1.25	1.37	5.22	1.41	0.22	2.14	0.33	100.00
उत्तर प्रदेश	54.31	0.07	9.20	0.14	0.24	13.08	10.37	2.79	1.23	0.27	0.39	0.14	0.47	0.59	0.92	2.53	0.99	0.22	1.68	0.37	100.00
पश्चिम बंगाल	34.17	0.22	18.75	0.23	0.22	11.66	11.99	5.44	2.45	1.08	0.93	0.16	0.50	1.09	1.25	3.69	0.89	0.29	2.15	2.85	100.00
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23.67	0.11	10.03	1.16	0.60	12.08	11.41	8.20	4.83	0.69	1.06	0.05	0.45	5.09	6.62	6.34	2.55	0.27	2.03	2.83	100.00
चंडीगढ़	0.17	0.00	10.33	0.00	0.08	5.64	14.44	4.25	3.66	5.22	5.29	1.33	4.52	0.46	18.65	6.06	8.49	0.00	3.51	7.91	100.00
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	20.44	0.00	52.42	0.36	0.00	2.52	6.74	5.37	3.06	0.59	0.00	0.11	0.56	1.49	0.39	2.27	0.82	0.00	1.47	1.38	100.00
जम्मू और कश्मीर	45.73	0.03	8.39	0.38	0.80	15.87	10.22	4.51	1.26	0.47	0.47	0.05	0.42	0.62	3.93	4.39	0.93	0.15	1.19	0.21	100.00
लद्दाख	48.00	0.10	1.86	1.19	0.41	14.11	2.85	13.19	4.67	0.00	1.74	0.00	0.15	0.07	8.35	2.59	0.53	0.20	0.00	0.00	100.00
लक्षद्वीप	18.91	0.00	10.64	2.59	0.38	16.63	11.47	6.75	3.04	1.39	0.00	0.00	1.32	0.37	13.05	9.51	3.44	0.00	0.50	0.00	100.00
पुडुचेरी	16.26	0.17	18.48	0.12	0.55	8.44	12.94	6.17	2.78	3.94	2.46	0.43	1.02	1.86	5.74	8.11	4.71	0.38	2.88	2.58	100.00
अखिल भारत	45.76	0.31	11.42	0.27	0.27	13.03	10.20	4.13	1.86	1.30	0.93	0.21	0.60	0.92	1.40	3.05	1.24	0.23	1.68	1.18	100.00

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

टिप्पणी एनआईसी-2008 के बाह्य क्षेत्रीय संगठनों और निकायों के कार्यकलाप उद्योग खंड यू के लिए कोई नमूना नहीं देखा गया

उद्योग अनुभागों एनआईसी-2008 का ब्यौरा

खंड क: कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने, खंड ख: खनन और उत्खनन, खंड ग: विनिर्माण, खंड घ: विजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति

धारा ड: पानी की आपूर्ति; सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार गतिविधियां, खंड च: निर्माण, खंड छ: थोक और खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत, खंड ज: परिवहन और भंडारण, खंड इ: आवास और खाद्य सेवा गतिविधियां, खंड झ: सूचना और संचार, खंड ञ: वित्तीय और बीमा गतिविधियां, खंड एल: रियल एस्टेट गतिविधियां, खंड एम: पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियां, खंड एन: प्रशासनिक और समर्थन सेवा गतिविधियां, खंड ओ: लोक प्रशासन और रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, खंड पी: शिक्षा, खंड क्यू: मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य गतिविधियां, खंड आर: कला, मनोरंजन और मनोरंजन, खंड एस: अन्य सेवा गतिविधियां। धारा टी: नियुक्ता के रूप में परिवारों की गतिविधियां; स्वयं के उपयोग के लिए परिवारों की गतिविधियों का उत्पादन करने वाली अविभेदित वस्तुएं और सेवाएं, खंड यू: अलौकिक संगठनों और निकायों की गतिविधियां शामिल हैं।